

पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों का विवरण

1. डिग्री कोर्स साढे चार वर्षाय पाठ्यक्रम

1. बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी बी.पी.टी

बचलर ऑफ फिजियोथेरेपी बी.पी.टी चार साल का डिग्री पाठ्यक्रम ह। चार साल के इस कोर्स के पश्चात उम्मीदवार को फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए 6 महिने की इन्टर्नशिप करना आवश्यक है। चिकित्सा महाविद्यालय के प्राध्यापक, सह प्राध्यापक सहायक प्राध्यापक एवं अन्य योग्य तथा प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से किया जाता है। यहां पर उच्च स्तरीय शिक्षण एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाता है। मेडिकल छात्रों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली "प्रायोग" शालाओं में ही इन छात्रों को प्रायोगिक शिक्षा दी जाती है। चिकित्सा महाविद्यालय में बड़ी संख्या में आने वाले रोगियों का भी इन्हे प्रशिक्षण म लाभ मिलता है। अस्पातालों के टोम वर्क में इनकी अहम भूमिका होती है। इसके अलावा वे शहरों एवं कस्बों में स्वयंस का फिजियोथेरेपी सेन्टर भी खोल सकते हैं। बी.पी.टी. कोर्स के पश्चात छात्र एम.पी.टी. कोर्स के लिए नामांकन करा सकते हैं। तत्पश्चात चिकित्सा महाविद्यालयों में चल रहे बी.पी.टी. पाठ्यक्रमों में टीचिंग पद पर इनकी नियुक्ति की जा सकती है। आजकल के खेल-कूदों में फिजियोथेरेपिस्ट की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। कुशल फिजियोथेरेपिस्ट की मांग विदशों में भी है।

2. डिप्लोमा कोर्स दो वर्षाय पाठ्यक्रम

2. डिप्लोमा इन एक्स-रे टेक्नीशियन

इस पाठ्यक्रम मे छात्रा को शारीर की संरचना का मूलभूत ज्ञान दिया जाता है इसके पश्चात एक्सरे में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न उपकरणों की तकनीकी जानकारी दी जाती है। विभिन्न प्रकार के मरीजों की इस विभाग के अंतर्गत किस प्रकार जांच की जाती है इसका विस्तृत प्रशिक्षण दिया जाता है। रोजगार के अवसर:- रेडियोग्राफर प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति को शासकीय एवं निजी अस्पतालों में रोजगार का काफी अवसर उपलब्ध रहते हैं।

3. डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन

इस पाठ्यक्रम म छात्रा को विभिन्न प्रकार के मरीजों में की जाने वाली जांचों जैसे:- ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, साईटोलॉजी, हिस्टा-पैथालॉजी इत्यादि में लैब टेक्नीशियन की भूमिका पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान इन छात्रों को चिकित्सा महाविद्यालय मे उपलब्ध अत्याधुनिक मशीनों पर कार्य करने का अवसर मिलता है। रोजगार के अवसर:- प्रशिक्षित लैब टेक्नीशियन के रोजगार के लिए सरकारी अस्पतालों एवं निजी अस्पतालों में आवश्यकता पड़ती है। प्राइवेट पैथालॉजी लैब में भी ये पैथलॉजिस्ट के अधीन कार्य कर सकते हैं।

4. डिप्लोमा इन ऑप्थैलिमिक असिस्टेंट (नेत्र सहायक)

नेत्र सहायक के प्रशिक्षण के दौरान नेत्र संरचना एवं उसकी कार्यप्रणाली का मूलभूत ज्ञान दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान उन्ह नेत्र रोगियों का प्रारंभिक परीक्षण विजन रिकार्डिंग, नेत्र रोगियों का प्राथमिक उपचार, जटिल नेत्र रोगियों के लक्षण, स्कूली छात्रा को नेत्र परीक्षण विभिन्न समुदायों में नेत्र रोगियों का सर्वेक्षण आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्हे नेत्र शिविर के आयोजन में सहयोग देने एवं नेत्र ऑपरेशन में नेत्र सर्जन को सहायता का प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पैरामेडिकल ऑप्थैलिमिक असिस्टेंट के रूप में इनकी नियुक्ति की जा सकती है।

5. डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन

डायलिसिस एक चमत्कारी प्रक्रिया है। जो किडनी के मरीजों के लिए एक वरदान है। इस कोर्स में डायलिसिस संबंधी मशीनों की जानकारी आर.ओ. प्लांट के वाटर डायलिसिस से क्या संबंध है। इस विषय में जानकारी दी जाती है। वार्डों में भर्ती डायलिसिस के मरीजों की देखरेख संबंधी जानकारी भी दी जाती है। रोजगार के अवसर— डायलिसिस प्रशिक्षण प्राप्त छात्रों को शासकीय एवं निजी कम्पनियों में रोजगार के सभी अवसर उपलब्ध रहते हैं।

6. डिप्लोमा इन ब्लड टांसप्यूजन टेक्नीशियन

इस पाठ्यक्रम में छात्रों को ब्लड बैंकिंग के विभिन्न तकनीकी कार्यों का सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाता है। ब्लड टांसप्यूजन के अंतर्गत डोनर सिलेक्शन, ब्लड गुर्पिंग, ब्लड कलेक्शन, सिरोलॉजी टेस्ट कांसमैचिक ब्लड काम्पोनेंट सेपरेशन ब्लड स्टोरेज एफरेसिस एवं रक्तदान टांसप्यूजन के प्राध्यापक, सह—प्राध्यापक सहायक प्राध्यापक एवं अन्य प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता। प्रशिक्षण के दौरान छात्रों के ब्लड बैंक से संबंधित विभिन्न मशीनों में कार्य करने का अवसर दिया जाता है। रोजगार के अवसर— प्रशिक्षित ब्लड टांसप्यूजन टेक्नीशियन को विभिन्न शासकीय अधिकारियों एवं निजी अस्पतालों के ब्लड बैंक में रोजगार के काफी अवसर उपलब्ध हैं।

3. सर्टिफिकेट कोर्स एक वर्षीय

1. ओ.टी. टेक्नीशियन

इस पाठ्यक्रम में आपरेशन थियेटर के उपयोग में लाये जाने वाले उपकरणों एवं विभिन्न सामग्रियों के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाता है प्रशिक्षण के पश्चात ऐसे प्रशिक्षित व्यक्ति आपरेशन थियेटर में ओ.टी. असिस्टेंट का कार्य कर सकते हैं।

2. ई.सी.जी टेक्नीशियन

इस पाठ्यक्रम में छात्रों को मानव भारीर की आधारभूत रचना, उसकी कार्यप्रणाली, हृदय से संबंधित रोगों में भारीर में होने वाले विकार, इन रोगों के निदान में इलेक्ट्रो कार्डिओग्राफी की भूमिका एवं ई.सी.जी. मशीन के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है। पाठ्यक्रम के दौरान इन छात्रों को ओ.पी.डी. में मरीजों का ई.सी.जी लेनल आई.सी.सी.यू. में विभिन्न प्रकार के हृदय रोगों से संबंधित मरीजों का ई.सी.जी रिकार्ड करने आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। रोजगार के अवसरः— ई.सी.जी टेक्नीशियन कोर्स धारकों को विभिन्न सरकारी अस्पतालों, मल्टी स्पेशियलिटी अस्पतालों एवं निजी क्लीनिकों में ई.सी.जी./आई.सी.सी.यू./इकोकार्डियोग्राफी एवं टी.एम.टी टेक्नीशियन का कार्य उपलब्ध होता है।

डॉ० नवनीत सक्सेना

डॉ० के.के. दरयानी

डॉ० संजय गेडाम

(1) सदस्य

अधिष्ठाता एवं अध्यक्ष

कोऑर्डिनेटर

सब—कोऑर्डिनेटर

चयन समिति

डॉ० पी.के कसार

चेयरमैन

डॉ० एल.एस मरावी

सदस्य

डॉ० श्रीमति रेखा अग्रवाल

सदस्य

डॉ० सचिन कुचिया

सदस्य

डॉ० अजय कुमार मिश्रा
डॉ० राधिका नंदवानी
डॉ० संदीप सिंह

सदस्य
सदस्य
सदस्य

(2) कोर्स इंचार्ज

1. डिग्री पाठ्यक्रम

- बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी
(भौतिकी चिकित्सा स्नातक)

डॉ० एच० एस० वर्मा
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष
कोआर्डिनेटर बी.पी.टी.
अस्थिरोग विभाग

2. डिप्लोमा पाठ्यक्रम

- ऑष्ठैल्मिक असिस्टेंट

डॉ० यू.पी. दिपांकर,
सहप्राध्यापक
नेत्र रोग विभाग
डॉ० श्रीमति रेखा अग्रवाल

- एक्सरे रेडियोग्राफर

सह— प्राध्यापक

रेडियोलॉजी विभाग

- मेडिकल लैब टेक्निशियन

डॉ० रश्मि नायक

सहायक प्राध्यापक

पैथोलॉजी विभाग

डॉ० एल.कै पटेल

सह—प्राध्यापक

पैथालॉजी विभाग

डॉ० संदीप सिंह

सहायक प्राध्यापक

मेडिसिन विभाग

3. सर्टिफिकेट कोर्स

- ओ.टी. टेक्निशियन

डॉ० अर्जुन सक्सेना सह—प्राध्यापक
सर्जरी विभाग

- ई.सी.जी. टेक्निशियन

डॉ० सोहेल सिद्दकी,
सहायक प्राध्यापक कार्डियोलॉजी
मेडिसिन विभाग

पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीट
वर्ष 2018–19

1. डिग्री कोर्स (साढ़े चार वर्षीय पाठ्यक्रम)

क्र.	कोर्स	विभाग	कुल सीट	विभागीय	अन्य
1	बेचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (भौतिकी चिकित्सा स्नातक)	ऑर्थोपेडिक्स विभाग	50	05	45

2. डिप्लोमा कोर्स (दो वर्षीय पाठ्यक्रम)

क्र.	कोर्स	विभाग	कुल सीट	विभागीय	अन्य
1	एक्सरे टेक्निशियन	रेडियोडायग्नोसिस विभाग	30	03	27
2	मेडिकल लैब टेक्निशियन	पैथालॉजी विभाग	50	05	45
3	ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट	नेत्र रोग विभाग	30	03	27
4	डायलिसिस टेक्निशियन	मेडिसिन विभाग	30	03	27
5	ब्लड ट्रांसफ्यूजन	पैथालॉजी विभाग	30	03	27

3. सर्टिफिकेट कोर्स (एक वर्षीय पाठ्यक्रम)

क्र.	कोर्स	विभाग	कुल सीट	विभागीय	अन्य
1	ओ.टी. टेक्निशियन	सर्जरी विभाग	30	03	27
2	ई.सी.जी. टेक्निशियन	मेडिसन विभाग	30	03	27

नोट:—न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (सभी पाठ्यक्रमों के लिए)—बायलॉजी समूह के बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण। साथ ही बारहवीं कक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक अनारक्षित वर्ग के छात्रों को न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक आरक्षित वर्ग के आवेदकों के लिए होना आवश्यक है। ऐसे छात्र जो बारहवीं कक्षा, लेबोरेटरी मेडिसन, क्लीनिकल बायोकेमिस्ट्री एवं माइक्रोबायोलॉजी से उत्तीर्ण हुए हैं। ऐसे छात्रों को सिर्फ मेडिकल लैब टेक्निशियन एवं ब्लड ट्रांसफ्यूजन पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पात्रता होगी।

उपलब्ध सीटों में आरक्षण

1. डिग्री कोर्स (साढ़े चार वर्षीय पाठ्यक्रम)

क्र.	कोर्स	कुल सीट	अनारक्षित	अनु.जनजाति (20 प्रति"त)	अनु.जाति (16 प्रति"त)	अन्य पिछड़ा वर्ग (14 प्रति"त)
1	बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी	45	23	09	07	06
			F-7	F-3	F-2	F-2

2. डिप्लोमा कोर्स (दो वर्षीय पाठ्यक्रम)

क्र.	कोर्स	कुल सीट	अनारक्षित	अनु.जनजाति (20 प्रति"त)	अनु.जाति (16 प्रति"त)	अन्य पिछड़ा वर्ग (14 प्रति"त)
1	एक्सरे रेडि. टेक्निशियन	27	14	05	04	04
			F-4	F-1	F-1	F-1
2	मेडिकल लैब टेक्निशियन	45	23	09	07	06
			F-7	F-3	F-2	F-2
3	ऑथेल्मिक असिस्टेंट	27	14	05	04	04
			F-4	F-1	F-1	F-1
4	डायलिसिस टेक्निशियन	27	14	05	04	04
			F-2	F-1	F-1	
5	ब्लड ट्रांसप्लाजन टेक्निशियन	27	14	05	04	04
			F-4	F-1	F-1	F-1

3. सर्टिफिकेट कोर्स

क्र.	कोर्स	कुल सीट	अनारक्षित	अनु.जनजाति (20 प्रति"त)	अनु.जाति (16 प्रति"त)	अन्य पिछड़ा वर्ग (14 प्रति"त)
1	ओ.टी. टेक्निशियन	27	14	05	04	04
			F-4	F-1	F-1	F-1

2	ई.सी.जी. टेक्निशियन	27	14	05	04	04
			F-4	F-1	F-1	F-1

नोट:- महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार 30 प्रतिशत आरक्षण सभी वर्गों में उपलब्ध कराया जावेंगा।

पाठ्यक्रम में लगने वाली शुल्क का विवरण।
मध्यप्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल द्वारा निर्धारित शुल्क का विवरण।

प्रशिक्षण शुल्क (प्रतिवर्ष)

पाठ्यक्रम	शिक्षण शुल्क
1. डिग्री पाठ्यक्रम (साढ़े चार वर्षीय पाठ्यक्रम)	53,000/-
2. डिप्लोमा पाठ्यक्रम (दो वर्षीय पाठ्यक्रम)	33,000/-
3. सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम (एक वर्षीय पाठ्यक्रम)	23,000/-

अन्य शुल्क

डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम	अन्य शुल्क	
	प्रति वर्ष	एक बार दिया जाने वाला शुल्क
सुरक्षा निधि (वापिसी योग्य)		5,000/-
खेल कूद मनोरंजन शुल्क	1,000/-	
आंतरिक मूल्यांकन शुल्क	1,000/-	
प्रयोग” आला एवं सामग्री शुल्क	1,000/-	
कुल (अन्य शुल्क 1 वर्षीय)	3,000/-	5,000/-

विशेष नोट:-

- एक बार दिया जाने वाला शुल्क सिर्फ प्रवश के समय लिया जावेगा।
- प्रवेश के समय छात्रों को पूर्ण शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क जमा करना अनिवार्य है।
- द्वितीय वर्ष एवं तदुपरात शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क डिग्री एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु प्रतिवर्ष जुलाई/अगस्त माह में जमा करना अनिवार्य है। विलंब से फीस जमा करने पर जितने माह विलंब से जमा करेंगे, उतने ही प्रतिशत विलंब शुल्क देना होगा।
- नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय शासकीय स्वशासी संस्था है। जिसमें संचालित पैरामेडिकल पाठ्यक्रम स्वशासी संस्था का पूर्णतः स्ववित्तीय (Self Finance) पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम हेतु मध्य प्रदशाशासन से किसी भी प्रकार का अनुदान प्राप्त नहीं होता है।
- पैरामेडिकल पाठ्यक्रम स्वशासी संस्था का स्ववित्तीय पाठ्यक्रम है। अतः पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार ग्रीन कार्ड के तहत शिक्षण शुल्क में किसी भी प्रकार की छूट की पात्रता नहीं होगी एवं आवेदकों द्वारा किसी भी प्रकार का

न्यायलय में दावा मान्य नहीं किया जायेगा। उक्त कंडिका नोट कं. 4 का आवेदकों द्वारा खंडन किया जाता है, तो आवेदक के विलक्षण वैधानिक कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार संस्था प्रमुख को होगा।

6. विद्यार्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया प्रवेश के समय जमा किये जाने वाले समस्त (Original) मूल दस्तावेजों को, पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक, कार्यालय के रिकार्ड फाईलों में जमा किये जायेंगे। (सभी मार्कशोट / प्रमाण पत्र आदि) समस्त जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की अलग से 10–10 सेट

छायाप्रतिया तथा स्कैन पी.डी.एफ फाईल आवेदकों को अपने पास सुरक्षित रखना होगा। क्योंकि कोर्स अवधि के दौरान कार्यालय में जमा मूल दस्तावेजों रिकोर्ड से कभी भी कोई मूल अथवा छायाप्रति प्रदान नहीं की जायेगी। यदि जमा मार्कशोट / प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियां अत्यंत आवश्यकता दर्शाते हुए, किसी विद्यार्थी द्वारा चाही गई तो उसके लिये विद्यार्थी को आवेदन के साथ 100/- रु. फोटोकापी की छायाप्रति का शुल्क कार्यालय में व्हाउचर के माध्यम से जमा करना होगा।

7. नवीन सत्र प्रारंभ होने के एक माह के अंदर कोर्स का वार्षिक शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। छात्रवृत्ति विलंब से प्राप्त होने या न आने की स्थिति फीस स्वयं वहन करनी होगी। एवं परीक्षा में बैठने की पात्रता तभी होगी जब कोर्स की पूरी फीस जमा हो।

नोट:- 1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछ़ड़ा वर्ग के छात्रों को म0प्र0 शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति की पात्रता होगी, यदि संबंधित विभाग द्वारा छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं कि जाती है तो छात्रों को समस्त शुल्क स्वयं वहन करना होगा।

2. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास एवं अल्पसंख्यक विभाग द्वारा छात्रवृत्ति के माध्यम से छात्रवृत्ति की पात्रता रखने वाले छात्रों को कोर्स में लगने वाली फीस की प्रतिपूर्ति की जाती है। म.प्र. भासन द्वारा पैरामेडिकल कोर्स की फीस में वृद्धि की गई है, यदि सहायक आयुक्त आदिवासी विकास एवं अल्पसंख्यक विभाग द्वारा फीस में की गई वृद्धि के अनुरूप फीस की प्रतिपूर्ति नहीं की जाती है तो छात्र को स्वयं फीस वहन करनी होगी।
3. छात्रवृत्ति हेतु डिजिटल जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
4. ऐसे सभी छात्र-छात्राओं को जिन्हे शिक्षण शुल्क में छूट की पात्रता होगी उन्हे अदिम जाति कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन के निर्धारित छात्रवृत्ति फार्म निर्धारित समयवधि प्रवेश से एक माह तक में आवेदन करना होगा एवं समय-समय पर छात्रवृत्ति आवेदन पत्र भरना होगा। छात्रवृत्ति फार्म न भरे जाने के कारण संबंधित छात्र-छात्राओं को कोर्स की फीस स्वयं वहन करनी होगी।

प्रवेश के समय लगने वाली शुल्क की जानकारी।

1. डिग्री कोर्स साठें चार वर्षीय पाठ्यक्रम

वर्ष		शुल्क
पहले वर्ष में	प्रवेश के समय दो सप्ताह के अन्दर	61,000/-
दूसरे वर्ष में	नम्बर / दिसम्बर 2018	56,000/-
तीसरे वर्ष में	नम्बर / दिसम्बर 2019	56,000/-
चौथे वर्ष में	नम्बर / दिसम्बर 2020	56,000/-

2. डिप्लोमा पाठ्यक्रम (दो वर्षीय पाठ्यक्रम)

वर्ष		शुल्क
पहले वर्ष में	प्रवेश के समय दो सप्ताह के अन्दर	41,000/-
दूसरे वर्ष में	नम्बर / दिसम्बर 2018	36,000/-

1. सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम (दो वर्षीय पाठ्यक्रम)

वर्ष		शुल्क
1 वर्ष में	प्रवेश के समय (दो सप्ताह के अन्दर)	31,000/-

प्रवेश के लिए आवश्यक अर्हताएं

1. आवेदक को 12 वीं कक्षा मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा बायोलॉजी समूह (भौतिकशास्त्र, रसायन" गास्त्र, जीवविज्ञान) से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, साथ ही इस परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक अनारक्षित वर्ग के छात्रों को एवं न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक अनारक्षित वर्ग के आवेदकों के लिए होना आव" यक है। ऐसे छात्र जो बारहवीं कक्षा, लेबोरेटरी मेडिसन, क्लीनिकल बायोकैमिस्ट्री एवं मार्झिकॉबायोलॉजी से उत्तीर्ण हुए हैं। ऐसे छात्रों को सिर्फ मेडिकल लैब टेक्निशियन एवं ब्लड टांस्फ्यूजन पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पात्रता होगी।
2. आवेदक की आयु 31 जुलाई 2018 को 17 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए।
3. मध्य प्रदेश के मूलनिवासी को प्रवेश में वरीयता दी जावेगी। म.प्र. के मूल निवासी को मेरिट लिस्ट पूर्ण हो जाने पर भी यदि किसी पाठ्यक्रम में सीट रिक्त रह जाती है, तो प्रदेश के बाहर के आवेदकों को प्रवेश दिया जावेगा।
4. पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवशित अनारक्षित श्रेणी के प्रवेश पाने वाले अभ्याथियों को प्रवश नियमावली में दर्शायनुसार वार्षिक शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। इसमें किसी भी प्रकार की रियायत मान्य नहीं होगी तथा **ग्रीन कार्ड** के तहत पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में शुल्क छूट की पात्रता नहीं होगी।
5. ऐसे आवेदक जो किसी स्वास्थ विभाग के अंतर्गत कार्यरत विभागीय कर्मचारी है, वह अपने आवेदन पत्र के साथ संचालक स्वास्थ सेवायें से **अनापत्ति प्रमाण (एन.ओ.सी.)** पत्र प्राप्त कर उचित माध्यम से प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्तुत करें। (आवेदक द्वारा आवेदन किये गये फार्म पर मूलतः विभाग से प्राप्त एन.ओ.सी. की छायाप्रति संलग्न नहीं कि जाती है, तो आवेदक का फार्म जमा / स्वीकार्य नहीं किया जायेगा तथा इस इस संस्था की कोई जबाबदारी नहीं होगी।) विभागीय उम्मीदवारों (स्वास्थ एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग) के लिए पाठ्यक्रम में 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित है। चयनित कर्मचारियों को अपने विभाग से **ऑरिजनल नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट(एन.ओ.सी.)** प्रस्तुत करना होगा।
6. उम्मीदवार का कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ साफ एवं स्पष्ट होना चाहिए, धुंधला एवं अस्पष्ट फोटो वाला फार्म स्वीकार नहीं होगा। फोटोग्राफ 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, फोटोग्राफ के नीचे नाम एवं दिनांक अंकित होनी चाहिए। फोटो के पीछे का बैकग्राउंड वाइट (सफेद) होना चाहिए। आवेदक ने जो फोटोग्राफ आवेदन फार्म में लगाया है वही फोटोग्राफ लाइब्रेरी, स्कालरशिप, परीक्षा एवं अन्य जो भी फार्म भरवाये जायेंगे सभी में वही फोटो लगाना होगा। किसी भी स्थिति में बदले हुए फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

चयन प्रणाली

आवेदकों का चयन बारहवीं (10+2) बायोलॉजी समूह अर्हकारी की परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर तैयार मेरिट के अनुसार किया जावेगा। मेरिट के अनुसार आवेदकों को काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश दिया जावेगा। सुबह 10:30 बजे से दिनांक 30 अगस्त-2018 को अराक्षित वर्ग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिनांक 31 अगस्त-2018 को अनारक्षित

वर्ग के लिए काउंसलिंग आयोजित की जावेंगी। काउंसलिंग के दौरान विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत उपलब्ध पाठ्यक्रमों (डिग्री/डिप्लोमा) की उपलब्ध सीटों को प्रदर्शित किया जावेगा तथा मेरिट के आधार पर आवेदक को अपनी इच्छानुसार पाठ्यक्रम चयन करने की स्वतंत्रता होगी। 30 अगस्त-2018 की काउंसलिंग प्रक्रिया में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग एवं उसके पश्चात् दिनांक 31 अगस्त-2018 को अनारक्षित वर्ग उम्मीदवारों को मेरिट अनुसार बुलाया जावेंगा।

काउंसलिंग के प्रथम चरण में स्कूटिनी समिति द्वारा उम्मीदवारों के निम्नलिखित मूल (Original) दस्तावेजों की जांच की जावेंगी।

1. 12 वी कक्षा की अंक सूची।
2. स्थानांतरण प्रमाण पत्र।
3. जन्मतिथि प्रमाण पत्र।
4. जाति प्रमाण पत्र केवल अराक्षित वर्ग के लिए
5. मूलनिवासी प्रमाण पत्र
6. आय प्रमाण पत्र केवल अराक्षित वर्ग के लिए
7. माईग्रेशन प्रमाण पत्र (सी.बी.एस.ई. बोर्ड स पास या अन्य विश्वविद्यालय व ओपन के छात्रों के लिए)
8. विभागीय कर्मचारियों के लिए एन.ओ.सी. की मूलप्रति आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य है।
9. आधार कार्ड मूलप्रति आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य है।
10. समग्र आई डी मूलप्रति आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य है।
11. बैंक पास बुक की मूलप्रति आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य है।

स्कूटनी समिति द्वारा उपयुक्त पाये जाने पर उम्मीदवारी का काउंसलिंग के दूसरे चरण, पाठ्यक्रम चयन में भाग लेने की पात्रता होगी।

ऐसे उम्मीदवार अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि जो मेरिट के अनुसार अपनी बारी आने पर निर्धारित तिथि एवं समय पर अभिलेखों की जांच एवं निर्धारित तिथि एवं समय पर काउंसलिंग हेतु उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके स्कूटिनी काउंसलिंग तथा प्रवेश के सभी अधिकार समाप्त हो जावेंगे।

काउंसलिंग उपरांत रिक्त सीटों पर प्रवेश महाविद्यालय के निर्णय अनुसार दिया जावेगा। यदि आरक्षण के अनुसार किसी आरक्षित श्रेणी में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में रिक्त सीटों को अन्य श्रेणियों में निम्नानुसार परिवर्तित कर भरने की कार्यवाही की जावेंगी।

1. अनुसूचित जनजाति की रिक्त सीट, अनुसूचित जाति श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भरी जावेंगी।
2. अनुसूचित जाति की रिक्त सीट, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भरी जावेंगी।
3. यदि अनुसूचित जाति एवं जनजाति दोनों श्रेणियों के पात्र उम्मीदवार उनकी अराक्षित सीटों की पूर्ति के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में आरक्षित रिक्त सीटों की पूर्ति अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के पात्र उम्मीदवार से की जावेंगी।
4. यदि तीनों आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत पात्र उम्मीदवार उपरोक्तानुसार उपलब्ध नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में रिक्त सीटों की पूर्ति अनारक्षित श्रेणी के पात्र उम्मीदवार से की जावेंगी।

5. यदि एक से ज्यादा उम्मीदवारों के अंक समान है, तो इस स्थिति में वह उम्मीदवार जिसके जीव विज्ञान में ज्यादा अंक है, उसे प्रथामिकता दी जावेगी, यदि उसमें भी समानता पायी जाये तो रसायन विज्ञान के अंकों द्वारा उसे प्राथमिकता दी जावेगी और अगर उसमें भी समानता पायी जाये तो फिर भौतिकशास्त्र के अंकों द्वारा उस प्राथमिकता दी जावेगी। यदि इस आधार पर भी उम्मीदवारों की वरीयता पर निर्णय नहीं हो पाता है, तो अधिक उम्र वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जावेगी। चयनित आवेदकों को प्रवेश के समय फीस के अलावा दस्तावेजों की मूलप्रति एवं एक सेट सभी दस्तावेजों की छायाप्रति के बगैर प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
6. एक बार काउंसलिंग के दौरान कोर्स चयन करने के उपरांत यदि कोर्स बदला जाता है तो कोर्स बदलने का भुल्क 1000/- देय होगा।
7. द्वितीय काउंसलिंग पश्चात भी यदि किसी विशय में सीट रिक्त रह जाती है, तो दो माह के कोर्स हेतुइ अंदर आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन पत्र के आधार पर प्रवेश दे दिया जायेगा।
8. प्रवेश के पश्चात यदि किसी कारणवश कोर्स छोड़ा जाता है तो कोर्स छोड़ने की फीस रु 1000/- जमा करने के पश्चात ही मूलदस्तावेज वापिस किये जावेगे।

अनुशासन नियंत्रण

सभों छात्र/छात्रा संस्था प्रमुख के अनुशासनिक नियंत्रण में रहेंगे। तथा महाविद्यालय के नियमों का पालन करना आव” यक होगा, यदि किसी छात्र/छात्रा का आचरण महाविद्यालय के नियमों के विपरीत पाया गया तो, उसके विरुद्ध कठोर अनु” ासनात्मक कार्यवाही अनुशासन समिति की अनुशंसा पर की जावेंगी या पाठ्यक्रम के दौरान कभी भी उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। यदि किसी भी कारणवश प्रवेश निरस्त किया जाता है, तो कोई भी शुल्क वापस नहीं किया जावेगा।

संस्था प्रमुख को यह अधिकार होगा कि, किसी भी शैक्षणिक सत्र में किसी भी छात्र-छात्राओं को अनुशासनहीनता अथवा आचरणहीनता के कारण पाठ्यक्रम से निष्कासित किया जा सकता है।

पैरामेडिकल पाठ्यक्रम के छात्रों को पूरे समय संस्था द्वारा निर्धारित नीले रंग के एप्रेन एवं नाम पट्टिया धारण करना आवश्यक होगा।

अनुशासन समिति

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. डॉ० एच एस वर्मा | 2. डॉ० पी.के. कसार |
| 3. डॉ० विजय श्रीवास्तव | 4. डॉ० यू०पी. दीपांकर |
| 5. डॉ० गोपाल मरावी | 6. डॉ० लक्ष्मी सिंगोतिया |

सामान्य निर्देश

1. यदि कोई आवेदक प्रवेश पश्चात् पाठ्यक्रम अवधि के दौरान किसी भी कारण से आवंटित सीट छोड़ता है अथवा बिना सूचना दिए लंबे समय तक अनुपस्थित रहता है, तो इस स्थिति में छात्र/छात्रा का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमा समस्त फीस राजसात् कर ली जावेगी। जिसके लिये विद्यार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

2. प्रवेश के समय रु: 5000/- सुरक्षा निधि के रूप में जमा करना होगा पाठ्यक्रम अवधि के पश्चात् यह राशि छात्र/छात्रा को बिना ब्याज के देय होगी। साथ ही किसी कारणवश छात्र/छात्रा द्वारा अपना पाठ्यक्रम निर्धारित अवधि के पूर्व छोड़ने की स्थिति में सुरक्षा निधि की राशि राजसात् कर ली जावेगी।

नोट:- शिक्षण सत्र के दौरान होने वाले नुकसान की पूर्ति सुरक्षा निधि मे जमा राशि से की जावेगी तथा शेश राशि पाठ्यक्रम पूर्ण होने के बाद वापिस की जावेगी।

3. प्रवे” । के समय जमा किये गये समस्त मूल अंकसूची/प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम अवधि समाप्त होने के प” चात ही वापस किये जावेंगे। पाठ्यक्रम अवधि के दौरान मूल अंकसूची एवं प्रमाण पत्र किसी भी कारण से वापस नहीं दिये जायेंगे।

4. छात्रों से समय—समय पर नामांकन शुल्क एवं परीक्षा फीस ली जावेगी।

5. पैरामेडिकल के छात्रों को महाविद्यालय में हॉस्टल सुविधा उपलब्ध नहीं है।

6. मूल निवासी प्रमाण पत्र जिले के कलेक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक है।

7. चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर को पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों से संबंधित नियम बनाने एवं पुराने नियमों में संशोधन करने का पूर्ण अधिकार होगा।

8. किसी प्रकार के मतभेद की स्थिति में वह जबलपुर न्यायालयीन क्षेत्र के अंतर्गत होगा।

9. छात्रवृत्ति हेतु डिजीटल जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है।

10. आरक्षित श्रेणी के सभी उम्मीदवारों को अभिभावक/पालक की समस्त स्त्रोतों से प्राप्त आय संबंधी आय प्रमाण पत्र शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही जिन विद्यार्थियों के पालक/अभिभावक शासकीय कर्मचारी हैं, उन्हे उनके विभाग में संबंधित इन्कम टैक्स फार्म 16 की सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11. आरक्षित श्रेणी के ऐसे उम्मीदवार जिन्हे शासन द्वारा छात्रवृत्ति कि पात्रता होगी उनसे भी पाठ्यक्रम अवधि के दारान बीच में सीट छोड़ने पर प्रशिक्षण अवधि: जिसमें वह अनुपस्थित रहा। का शुल्क वसूला जाएगा।

12. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर लेने के बाद कुछ समय बाद या बीच में पाठ्यक्रम छोड़ने पर उम्मीदवार से प्रवेश निरस्त प्रक्रिया शुल्क 1000/- प्रथक से वसूला जाएगा।
13. किसी भी शैक्षणिक सत्र में होने वाली परीक्षा में बैठने की पात्रता उन्हीं छात्रों को होगी जिन्होंने शिक्षण शुल्क जमा कर दिया होगा।
14. पूर्व में अध्यनरत रहने वाले छात्र-छात्राओं को नवीन शैक्षणिक सत्रों में पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
15. अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राएं जिन्हे शासन द्वारा आय के आधार पर छात्रवृत्ति की पात्रता है को एक पाठ्यक्रम के अलावा अन्य पाठ्यक्रमों में “दूबारा प्रवे” । प्राप्त करने पर पुनः छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। उन्हे पूरा शिक्षण शुल्क वहन करना होगा।
16. ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने विगत वर्षों में पैरामेडिकल पाठ्यक्रम के कोर्स में प्रवेश प्राप्त कर अनिवार्य शुल्क में शासकीय योजनाओं के अंतर्गत छूट प्राप्त की गई है, उन्हे इस सत्र में पाठ्यक्रम के किसी भी कोर्स में प्रवेश लेने पर उपरोक्त शासकीय योजनाओं के अंतर्गत छूट की पात्रता नियमानुसार नहीं होगी ऐसे छात्र/छात्राओं लगने वाले समस्त अनिवार्य शुल्क स्वंस जमा करने होंगे।
17. अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के ऐसे छात्र-छात्राएं जिन्हे शासन द्वारा आय के आधार पर छात्रवृत्ति की पात्रता है, को इस संस्था में प्रथम बार पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने पर शिक्षण शुल्क में छूट की पात्रता होगी, दूसरो बार पुनः पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने पर समस्त शिक्षण शुल्क का भुगतान स्वंयं करना होगा।
18. छात्र-छात्राओं द्वारा प्रवेश लेने के उपरात यदि बीच में कोर्स छोड़ा जाता है, तो कोर्स छोड़े जाने की अवधि तक की फीस जमा करने के उपरात ही मूल दस्तावेज वापिस किये जावेंगे।
19. आवास भत्ता की पात्रता अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शाखा के नियमानुसार देय होगी।

आवश्यक निर्देश

1. रुपये 500/- का वाजचर पेरामेडिकल कार्यालय से प्राप्त कर बैंक आफ बडोदा में जमा करने के उपरांत वाजचर की प्रति उपलब्ध कराने पर आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि 02/08/2018 समय 10:30 से एवं जमा करने की अंतिम तिथि 13/08/2018 को शाम 5:30 बजे तक है। बिलंब शुल्क 200/- के साथ फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 20/08/2018 शाम 5:30 बजे तक है।
2. आवेदन पत्र को प्रत्यक्ष रूप से अधिष्ठाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर के नाम से भेजा का सकता है। (डाक द्वारा निर्धारित तिथि के पश्चात बिलंब से भेजे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे।)
3. आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रमाणित (स्वयं के द्वारा प्रमाणित) छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा:-
 1. 10वी कक्षा की अंक सूची को छायाप्रति।
 2. 12वी कक्षा की बायॉलोजी समूह से पास अंक सूची की छायाप्रति।
 3. मूल निवासी प्रमाण पत्र।
 4. जन्म प्रमाण पत्र।
 5. जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग के आवेदकों के लिए)
 6. आय प्रमाण पत्र। (आरक्षित वर्ग के आवेदकों के लिए)
(आवेदक के अभिभावक शासकीय कर्मचारी है, तो विभाग से जारी किया गया आय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।)
 7. स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं मार्झग्रेशन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 8. आधार कार्ड की फोटो कॉपी
 9. समग्र आई डी की फोटो कॉपी
 10. बैंक पास बुक की फोटो कॉपी
4. न्यूनतम 50 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश के पश्चात ही उस पाठ्यक्रम को प्रारंभ किया जाना संभव हो सकेगा।
5. यद्यपि सभी पाठ्यक्रम रोजगारोनुखी है, फिर भी महाविद्यालय किसी भी छात्र-छात्रा को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु जिम्मेदार नहीं होगा।

वचन पत्र का प्रारूप

यह प्रारूप रु: 100/- के ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटराईज कराकर आवेदन फार्म के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

मेर द्वारा पैरामेडिकल पाठ्यक्रम प्रवेश संबंधी नियम विवरण पुस्तिका भली भाँति पढ़ ली गई है। जिसमें दशार्थे गये प्रवेश एव पाठ्यक्रम संबंधी नियमों से मैं संतुष्ट हूँ। एवं मैं यह जानता/जानती हूँ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर में संचालित पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों पूर्णतः स्ववित्तीय पाठ्यक्रम है। जिसमें शासन द्वारा संचालित **ग्रीन कार्ड सुविधा का कोइर भी लाभ मुझे नहीं मिलेगा और न ही मैं कभी इसकी मांग करूँगा/करूँगी** तथा इस सुविधा के लिए मैं न्यायालय की शरण नहीं लूँगा/लूँगी^{मैं} इस पाठ्यक्रम में स्वविवेक से प्रवेश लना चाहता हूँ/चाहती हूँ एवं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि मे पूरे पाठ्यक्रम अवधि के दौरान अथवा इसके पश्चात दर्शाये गये नियमों के विरुद्ध सीधे न्यायालय मे याचिका दायर नहीं करूँगा/करूँगी। अपितु किसी भी प्रकार की समस्या होने पर संस्था से पत्राचार/व्यक्तिगत समर्पक कर समस्या का समाधान करूँगा/करूँगी अन्यथा, मेरे विरुद्ध संस्था द्वारा लिया गया किसी प्रकार का निर्णय मुझे मान्य होगा। उपरोक्त कथन बिना किसी के दबाव के स्वविवेक से मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है जिसके लिए मैं स्वयं जबाबदार हूँ।

स्थान

हस्ताक्षर

दिनांक.....2017

पूरा नाम.....

गवाह का पता:-

1.....

हस्ताक्षर.....

.....

पूरा नाम.....

2.....

हस्ताक्षर.....

.....

पूरा नाम.....